

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



विस्तृत-निर्देश

(विज्ञापन संख्या-09/2025)

राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर (APHC/HSC) में आमजनों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने एवं पैथोलॉजिकल जाँच सेवा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों यथा - National Tuberculosis Elimination Program (NTEP), National Programme for Prevention and Control of Fluorosis (NPPCF), National Iodine Deficiency Disorders Control Programme (NIDDCP), National Viral Hepatitis Control Program (NVHCP), National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke (NPCDCS), Blood Bank/ BBSU, Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP), Health and Wellness Centre (HWC) एवं National Urban Health Mission (NUHM) के तहत **Senior Laboratory Technician** एवं **Laboratory Technician** के संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

पदनाम	कार्यक्रम का नाम	पदों की कोटिवार विवरणी (35% महिला, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नानी को देय आरक्षण सहित)							कुल	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव
		UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	WBC		
Senior Laboratory Technician	NTEP	3	1	1	0	1	1	0	7	Essential Qualification & Preferred Experience: ✓ M. Sc Medical Microbiology / Applied Microbiology / General Microbiology/ Biotechnology/ Biochemistry with or without DMLT. And ✓ Two years of work experience in TB Laboratory Test - <i>Mycobacterium tuberculosis</i> related Genotypic tests (Nucleic Acid Amplification Tests, Line Probe Assay)/ Phenotypic Tests (Culture & Drug Susceptibility Tests). OR ✓ B. Sc Microbiology with DMLT/ B.Sc. Biotechnology with DMLT / B.Sc. Biochemistry with DMLT /B.Sc. Chemistry with DMLT/ B.Sc. Life science with DMLT/ B.Sc. Botany with DMLT/ B.Sc. Zoology with DMLT. And ✓ Three years of work experience in TB Laboratory Test - <i>Mycobacterium tuberculosis</i> related Genotypic tests (Nucleic Acid Amplification Tests, Line Probe Assay)/ Phenotypic Tests (Culture & Drug Susceptibility Tests).

पदनाम	कार्यक्रम का नाम	पदों की कोटिवार विवरणी*							कुल	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
		(35% महिला, 4% दिव्यांग एवं 2% स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी को देय आरक्षण सहित)								
		UR	EWS	SC	ST	EBC	BC	WBC		
Laboratory Technician	NTEP	87	21	28	4	43	10	14	207	Essential Qualification: ✓ Intermediate / 10+2 with Physics, Chemistry and Biology. ✓ The above qualification should be followed by Bachelor in Medical Laboratory Technology (BMLT) / Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT) from any recognized University/ Institution.
	NPPCF	1	0	0	0	0	0	0	1	
	NIDDCP	1	0	0	0	0	0	0	1	
	NVHCP	2	0	1	0	1	0	0	4	
	NPCDCS	0	0	0	0	0	2	0	2	
	Blood Bank/ BBSU	15	3	6	0	5	2	0	31	
	RTPCR Lab (IDSP)	36	9	14	1	16	11	3	90	
	HWC	276	69	110	7	124	83	21	690	
	NUHM	12	3	6	1	8	4	1	35	
	Sub total	433	106	166	13	198	113	39	1068	

(UR-Unreserved, EWS-Economically Weaker Section, SC-Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, EBC-Extremely Backward Class, BC-Backward Class, WBC-Women of Backward Classes)

सामान्य निर्देश :-

- मानदेय: NHM के तहत उक्त पदों का एकमुश्त मानदेय/प्रतिमाह का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:-

क्र.सं.	पद का नाम	एकमुश्त मानदेय/प्रतिमाह (रुपये में)
1.	Senior Laboratory Technician	24,000/- (चौबीस हजार रुपये)
2.	Laboratory Technician	15,000/- (पन्द्रह हजार रुपये)

- Cut off Date** :- आयु सीमा के लिए Cut off Date- 01.08.2025 होगी तथा शैक्षणिक योग्यता एवं कार्यानुभव आदि के लिए Cut off Date ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक - 03/09/2025 होगी।
- आयु सीमा**- दिनांक 01.08.2025 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु आरक्षण कोटिवार निम्नानुसार से अधिक न हो:-

- अधिकतम उम्रसीमा:-

a. अनारक्षित वर्ग/EWS (पुरुष)	-	37 वर्ष
b. पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)	-	40 वर्ष
c. अनारक्षित वर्ग/EWS (महिला)	-	40 वर्ष
d. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	-	42 वर्ष

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में निःशक्तों (दिव्यांग) को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मानव संसाधन नियमावली-2021 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मियों को अधिकतम 05 वर्ष की छूट अनुमान्य है, बशर्ते वे न्यूनतम पात्रता धारण करते हों।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या-212, दिनांक 23.01.2006 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पिछली नियुक्ति प्रक्रिया (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का विज्ञापन संख्या-04/2021 एवं विज्ञापन संख्या- 09/2021) में दिनांक 01.01.2021 की तिथि से उम्र की गणना की गई थी। अतः वैसे अभ्यर्थी, जो दिनांक 01.01.2021 से 01.08.2025 तक अधिकतम उम्रसीमा के अधीन आते हैं अथवा उक्त अवधि में अधिकतम उम्र के हो गये हैं, वे भी उक्त विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे। बशर्ते वे अन्य अर्हताएँ पूरी करते हों।

(v) कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबधिक रूप से रखे गये लैब तकनीशियन को कार्यरत अवधि के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमान्य होगी।

4. किसी भी अभ्यर्थी को कंडिका-3(ii), (iii), (iv) एवं (v) में से कोई एक ही छूट अधिकतम आयुसीमा में देय होगा।
5. इच्छुक अभ्यर्थी, जो भारत के नागरिक हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत Website- <https://shs.bihar.gov.in/> के "HUMAN RESOURCE>>Advertisement" page पर प्रकाशित विज्ञापन, दिशा-निर्देश, ToR इत्यादि में वर्णित शर्तों को ध्यान रखते हुए ऑनलाईन आवेदन हेतु दिये गये लिंक पर क्लिक करके दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। विहित ToR एवं सामान्य निदेश में वर्णित शर्तों का ध्यान रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी।
6. उक्त पदों के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि/समय निम्नवत् निर्धारित है :-

प्रारंभिक तिथि एवं समय	01/09/2025 के 10:00 बजे पूर्वाह्न से
अंतिम तिथि एवं समय	15/09/2025 के 06:00 बजे अपराह्न तक

7. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर सम्प्रति 11 माह के लिए किया जाएगा। संतोषप्रद कार्य एवं सेवा के आधार पर संविदा अवधि को 60 वर्ष की आयु तक के लिए या NHM अंतर्गत RoP में उक्त पद की स्वीकृति होने एवं राशि उपलब्ध रहने में से, जो भी पहले हो तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।
8. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे और सरकारी सेवक को अनुमान्य किसी भी सुविधा के वे हकदार नहीं होंगे। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत लैब तकनीशियन के स्वीकृत पदों के विरुद्ध वर्तमान में परिलक्षित रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन के निमित्त विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। रिक्ति के आधार पर सेवा हेतु जिला एवं स्वास्थ्य संस्थान अथवा कार्यक्रम के आवंटन का अन्तिम निर्णय पूर्णतः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
10. विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित कार्यों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य कार्यक्रमों के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन का भार चयन/पदस्थापनोपरान्त दिया जा सकता है।

11. आरक्षण:-

- (i) बिहार राज्य में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों एवं तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा।
- (ii) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को अनुमान्य होगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार राज्य के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी (अभ्यर्थी) को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या- 12575 दिनांक- 09.07.2025 के आलोक में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या- 8962 दिनांक- 21.05.2025 के आलोक में केवल बिहार राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही बेंचमार्क दिव्यांगजन के रूप में क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।
- (iii) ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता (स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।
- (iv) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि/भिन्नता होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

- (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार अधिसूचना संख्या-673 दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 1273 दिनांक 29.01.2021 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
- A. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - जाति प्रमाण-पत्र
- B. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र - (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ)
- C. ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मामले में निम्नांकित प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा:-
- स्थायी निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र,
 - आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (सां.प्र.विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 28.02.2019 के अनुसूची-1/प्रपत्र-1 में)।

सां.प्र.विभाग, बिहार के अधिसूचना संख्या-673 दिनांक 08.03.2011, पत्रांक 15760 दिनांक 02.09.2022 एवं 11734 दिनांक 20.06.2023 के आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों (विवाहित महिलाओं सहित) का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, उनके पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए (न कि विवाहित महिलाओं के लिए उनके पति के नाम से)।

सां.प्र.विभाग, बिहार की पत्रांक 12123 दिनांक 23.06.2023 के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है।

उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र मूल रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के समक्ष प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

- (vi) केवल जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को पूर्व निर्गत प्रमाण-पत्र के साथ क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी स्वयं शपथ-पत्र फार्म-XVIII B (सां.प्र.विभाग का पत्रांक-15440 दिनांक 05.12.2017) दिया जाना अनिवार्य होगा।
- (vii) आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।
- (viii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2342 दिनांक 15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को उपलब्ध रिक्रि में 35% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या- 12575 दिनांक- 09.07.2025 के आलोक में उक्त क्षैतिज आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा।
- (ix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22.01.2021 एवं संकल्प संख्या 8962 दिनांक 21.05.2025 के आलोक में दिव्यांगों को रिक्रि की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 04% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऑनलाईन आवेदन करते समय दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार

(दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड) द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत कम से कम 40% या उससे अधिक प्रतिशत का निःशक्तता (दिव्यांगता) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

- (x) अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने के स्थिति में प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
- (xi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-13185, दिनांक-03.09.2015 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को रिक्रि के उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सा०प्र०विभाग, बिहार के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (अन्य कोई पहचान-पत्र मान्य नहीं होगा)।
- (xii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के झापांक 16144 दिनांक 28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।
- (xiii) ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण के इंगित कॉलम में आरक्षित कोटि/निःशक्तता/स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी/कार्यानुभव का दावा नहीं करने पर उनसे संबंधित आरक्षण एवं अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होंगे।

12. आवेदन शुल्क:-

- (i) अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाईन माध्यम से ही करेंगे। ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/Unified Payment Interface (UPI) के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान में अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों/Payment Gateway द्वारा निर्धारित शुल्क भी देय होगा, जो ऑनलाईन भुगतान के क्रम में स्वतः भुगतये होगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित भुगतान रसीद का प्रिन्ट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

आवेदन शुल्क कोटिवार प्रत्येक पद हेतु निम्नवत निर्धारित है:-

क्र० सं०	उम्मीदवार की कोटि	निर्धारित आवेदन शुल्क
1	सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	₹500/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	₹125/-
3	आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	₹125/-
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों।	₹500/-
5	दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% अथवा उससे अधिक) के लिए	₹125/-

- (ii) वैसे सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से आने वाले अभ्यर्थी जो दिव्यांगता/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के लाभ का दावा करते हैं और उनके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगता के अनुरूप परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगता से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है या उस पर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती परीक्षा शुल्क (Concessional applicant fee) के आधार पर अनर्हित किया जा सकता है। दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में सूचित किया जाता है कि वे स्वेच्छा से परीक्षा शुल्क सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप जमा करते हैं तो इस बिन्दु पर उनकी अभ्यर्थिता सुरक्षित रहेगी। इस पर अभ्यर्थी स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

13. **चयन का आधार:- Senior Laboratory Technician एवं Laboratory Technician** के लिए चयन का आधार निम्नवत् निर्धारित किया जाता है -

- i) अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार रिक्ति के अनुसार Computer Based Test (CBT) में प्राप्तांक एवं कार्यानुभव प्राप्तांक के आधार पर निर्मित मेधासूची के अनुसार निम्नवत् किया जायेगा -

(a)	लिखित प्रतियोगिता परीक्षा (Computer Based Test) के अंकों का अधिभार (Weightage) नोट : अभ्यर्थी द्वारा 75 अंकों की CBT प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके अवधारित किया जायेगा। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी अभ्यर्थी को CBT प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ हो, तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अधिभार (Weightage) अंकों की गणना 50×0.8 के हिसाब से करते हुए 40 अंक दिये जायेंगे।	80 अंक
(b)	कोरोना वायरस (COVID-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपबधिक रूप से रखे गये लैब तकनीशियन के पद पर कार्यानुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 20 अंक (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 05 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा)।	20 अंक
	कुल	100 अंक

- ii) प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न-पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 75 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 75 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
- iii) परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन (Negative Marking) लागू होगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 0.25 अंक काटा जाएगा।
- iv) परीक्षा का पाठ्यक्रम राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा।
- v) परीक्षा की अवधि 75 मिनट (1 घंटा 15 मिनट) की होगी तथा अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में उक्त परीक्षा का आयोजन एक से अधिक पालियों में किया जा सकता है। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम, समानीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा।
- vi) CBT में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को कोटिवार रिक्ति के अनुसार मेधा क्रम में अधिकतम 1:2.5 के अनुपात में प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। प्रमाण-पत्र सत्यापन में सफल अभ्यर्थियों का कोटिवार रिक्ति एवं लागू आरक्षण नियमों के आधार पर अंतिम मेधा सूची निर्धारित की जायेगी।
- vii) मेधा सूची हेतु प्राप्तांक का प्रतिशत दशमलव के बाद अधिकतम दो अंकों तक लिया जाएगा।

14. **Computer Based Test (CBT) में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हतांक:** का० एवं प्र० सु० विभाग, बिहार के संकल्प सं० 2374 दिनांक 16.07.2007 एवं 962 दिनांक 22.01.2021 के आलोक में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

15. **कार्यानुभव :-** उपर्युक्त कंडिका- 13 में अंकित चयन का आधार हेतु उपस्थापित किये जाने वाला कार्यानुभव प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकार (संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति के सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक) के स्तर से निर्गत होने की स्थिति में ही मान्य होगा। अन्य स्तर से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

सिनियर लैब तकनीशियन पद हेतु कार्यानुभव प्रमाण-पत्र में आवश्यक कार्य अनुभव का उल्लेख स्पष्ट रूप से पृष्ठ 01 के तालिका के अनुरूप अंकित होना अनिवार्य है। प्रमाण-पत्र सत्यापन के क्रम में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र की वैधता के संबंध में अंतिम निर्णय राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का होगा।

16. मेधा सूची में Tie होने पर:

अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

17. प्रमाण-पत्र सत्यापन (Document Verification)/कॉउसेलिंग: प्रमाण-पत्र सत्यापन/कॉउसेलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र एवं अन्य कागजात मूल प्रति (जो ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किया गया हो) में अनिवार्य रूप से एवं उसकी 01 (एक) स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा:-

- (i) ऑनलाईन भरे गये आवेदन एवं CBT का प्रवेश-पत्र की प्रति (Copy of Online Filled up Applicant form & Admit Card of CBT)।
- (ii) 02 (दो) पासपोर्ट आकार का अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ, जो ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किया गया है {02 (Two) recent coloured passport size Photograph, as uploaded in the online application}।
- (iii) फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र (AADHAR/PAN/Driving License/Voter ID/Passport)।
- (iv) जन्म तिथि का साक्ष्य (Proof of Date of Birth) हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र।
- (v) सभी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र एवं अंक-पत्र/इन्टर्नशीप सहित डिग्री (दसवीं से अंतिम योग्यता तक)।
- (vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आरक्षण का दावा के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण-पत्र यथा- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र, आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (जो भी लागू हो) इत्यादि।
- (viii) दिव्यांगता (निःशक्तता) प्रमाण-पत्र की मूल प्रति।
- (ix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र।
- (x) विभागीय कर्मों के रूप में उम्रसीमा में छूट प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का सक्षम प्राधिकार से निर्गत कार्यानुभव प्रमाण-पत्र।
- (xi) अन्य संबंधित प्रमाण-पत्र/अभिलेख।
- (xii) उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र, आवेदकों को विहित कॉलम में अपलोड करना अनिवार्य है। कोई भी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र अपलोड नहीं किए जाने पर अभ्यर्थीता रद्द करने हेतु समिति स्वतंत्र होगी। इस संबंध में वही प्रमाण-पत्र/अंक पत्र मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाईन आवेदन में किया है।
- (xiii) आवेदक द्वारा वैसे प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र, जिसका उल्लेख/अपलोड ऑनलाईन आवेदन में नहीं किया गया होगा, को प्रमाण-पत्र सत्यापन (Document Verification) के दौरान समिति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस आधार पर अर्हता/आरक्षण/कार्यानुभव के अधिमानता से वंचित रहने वाले अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा भविष्य में उक्त के संबंध में कोई दावा मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अर्हता/आरक्षण/कार्यानुभव से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र से संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन में अपलोड करें।

- (xiv) उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र की संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाईन आवेदन के विहित कॉलम में किया जाना अनिवार्य होगा तथा उक्त सभी प्रमाण-पत्र/अंक पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक है।
- (xv) आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किए गए सभी प्रमाण-पत्रों/अंक पत्रों का उपयोग प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु किया जाएगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन में सुस्पष्ट एवं Clear अभिलेख/दस्तावेज जो सही तरह से स्कैनर के माध्यम से स्कैन किया गया हो, को अपलोड करें। धुंधला/अस्पष्ट/काला/अपठनीय अपलोड किये गये दस्तावेज/अभिलेख/प्रमाण-पत्र/अंक-पत्र पाये जाने की स्थिति में प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय अभ्यर्थित्व समाप्त करने हेतु समिति स्वतंत्र होगी।
- (xvi) वैसे आवेदक जो उक्त विज्ञापित पदों पर वर्तमान में कार्यरत हैं अथवा पूर्व में कार्यरत रह चुके हैं, वे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मानव संसाधन नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत अयोग्य होंगे। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि ऐसे किसी अभ्यर्थी का घयन हुआ है तो उनकी अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- (xvii) आवेदकों को निदेश दिया जाता है कि वे कोई भी फर्जी/जाली प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन न करें अन्यथा किसी भी स्तर पर प्रमाण-पत्र फर्जी/जाली पाये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
- (xviii) साथ ही, उम्मीदवारों द्वारा इन सभी मूल प्रमाण-पत्रों एवं अंक-पत्रों की छायाप्रति का एक सेट काउंसेलिंग के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिसका उल्लेख उम्मीदवार द्वारा भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र में किया गया है।
- (xix) यदि अभ्यर्थियों द्वारा काउंसेलिंग के दिन उपर्युक्त वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो इसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी।
- (xx) प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश अलग से प्रकाशित किए जाएंगे।

18. ऑनलाईन आवेदन से संबंधित आवश्यक निर्देश निम्नवत् हैं:-

- (i) मात्र रजिस्ट्रेशन करने या ऑनलाईन आवेदन शुल्क भुगतान करने से यह नहीं माना जाएगा कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाईन आवेदन भर लिया गया है। केवल उन्हीं आवेदकों का CBT हेतु प्रवेश-पत्र (Admit Card) निर्गत किया जाएगा, जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पूर्ण रूप से निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ जमा किया गया हो। आवेदन अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण रहने तथा निर्धारित आवेदन शुल्क नहीं दिए जाने की स्थिति में आवेदक को प्रवेश-पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा।
- (ii) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन भरते समय सभी सूचना सावधानी पूर्वक अंकित करेंगे/कागजात (Document) आदि सावधानी पूर्वक अपलोड करेंगे। ऑनलाईन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। त्रुटि सुधार हेतु आवेदकों को न तो कोई अवसर दिया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा।
- (iii) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे एक से अधिक आवेदन समर्पित न करें। एक से अधिक (Multiple) आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

19. ऑनलाईन आवेदन समर्पित करते समय इंगित कॉलम में अद्यतन पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (jpg/jpeg/png format) एवं हस्ताक्षर (jpg/jpeg/png format) में अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हाल ही का खींचा हुआ (तीन माह के भीतर), सफेद बैकग्राउण्ड के पटल पर स्पष्ट रूप से खुली आँखों के साथ होना चाहिए। काला चश्मा, टोपी इत्यादि धारण किया हुआ फोटो मान्य नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये जाने वाले पासपोर्ट आकार रंगीन फोटो की पाँच प्रति प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। ताकि प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय या उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा माँग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।

20. उक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जाना है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा-निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक विस्तृत निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति जिम्मेवार नहीं होगी।
21. अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएँगी। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
22. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरे गये अपना नाम, जन्म तिथि, कोटि तथा अन्य सूचनाओं से सन्तुष्ट होने के उपरांत ही आवेदन शुल्क जमा करेंगे। सफल आवेदन समर्पित करने के उपरांत आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
23. संसूचन मोड केवल E-Mail/SMS होगा। इस प्रकार अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन समर्पित करते समय Active E-mail ID एवं Mobile Number इंगित कॉलम में अंकित करेंगे। E-mail ID एवं Mobile Number गलत रहने पर संसूचन नहीं हो पाने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी।
24. ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर प्रिंट कर लेंगे तथा आवेदन पत्र की प्रति नियोजन होने तक सुरक्षित रखेंगे, ताकि प्रमाण-पत्र सत्यापन के समय या उसके बाद राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा माँग किये जाने पर अभ्यर्थी उसे प्रस्तुत कर सकें।
25. इन्टरनेट या बैंक व्यवधान के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु अन्तिम तिथि का इन्तजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
26. उक्त पद के प्रमाण-पत्र सत्यापन (Document Verification)/कॉउसेलिंग हेतु किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।
27. आवश्यकतानुसार विज्ञापित पदों की रिक्ति की संख्या घट या बढ़ सकती है।
28. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए, विज्ञापन को रद्द करने/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।



कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार